(29)

(58)

राजस्थान सरकार
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– पीसीपीएनडीटी सैल/परिपत्र/2012/ 481 दिनांकः– 20/04/12

परिपत्र क्रमांक – 16/2012

परिपत्र क्रमांक – 16/2012

राज्य में गर्भ–धारण पूर्व एवं प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 का प्रभावी कियान्वयन एवं लंबित प्रकरणों के निस्तारण बाबत।

1. राज्य में गर्भ–धारण पूर्व एवं प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 (इसके पश्चात अधिनियम संबोधित किया गया है) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना कमांक प.23(2) चि. एवं स्वा.3/2003 पार्ट दिनांक 05.01.2012 जारी की जाकर, उपखण्ड स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के स्थान पर उपखण्ड अधिकारी (Sub Divisional Officer) को उपखण्ड समुचित प्राधिकारी बनाया गया है।
2. जिला एवं उपखण्ड स्तर पर अधिनियम के अन्तर्गत किये गये निरीक्षणों/शिकायतों में समुचित प्राधिकारी के द्वारा अनुसंधान पूर्ण किया जाकर, उल्लंघन पाया जाने पर सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने का दायित्व संबंधित समुचित प्राधिकारी में निहित हैं। इस संदर्भ में यहां यह भी निर्देशित करना समीचीन है कि समुचित प्राधिकारी के द्वारा अधिनियम की धारा 28(1)(ए) के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी के माध्यम से भी सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कराया जा सकता हैं तथा राज्य स्तर से समय–समय पर यह निर्देश प्रदान किये गये है कि संबंधित समुचित प्राधिकारी के द्वारा लंबित प्रकरणों में तुरन्त अनुसंधान पूर्ण कर नतीजा प्रदान किया जावें एवं अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करते हुये पालना रिपोर्ट से निदेशालय को अवगत करावें। राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में परिपत्र कमांक 14 एवं 15 दिनांक 15.02.2012, प्रकरणों में न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने एवं अनुसंधान कार्य से संबंधित दिशा–निर्देशों के संदर्भ में जारी किये गये हैं जिनकी पालना सुनिश्चित की जानी है।
3. राज्य स्तर से दिये गये निर्देशों के पश्चात भी लंबित प्रकरणो में अनुसंधान पूर्ण कर पालना रिपोर्ट से निदेशालय को अवगत नहीं कराया गया है तथा यह भी ध्यान में लाया गया है कि उपखण्ड अधिकारी (Sub Divisional Officer) को उपखण्ड समुचित प्राधिकारी बनाया जाने के पश्चात संबंधित पूर्व के उपखण्ड समुचित प्राधिकारियों द्वारा अन्वेषणाधीन प्रकरणों की पत्रावलियां, संबंधित उपखण्ड समुचित प्राधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है जिनमें नतीजा दिया जाकर, अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किये जाने है।
4. निदेशालय द्वारा दिनांक 01.04.2007 से 31.12.2010 तक अधिनियम के अन्तर्गत समस्त जिलों में किये गये निरीक्षणों की भी सूचना प्राप्त की जाकर, उनमें पाये गये उल्लंघन के आधार पर दोषी चिकित्सकों/केन्द्रो के विरूद्ध अनुसंधानरत प्रकरणो में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप परिवाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के

लिये समय–समय पर निर्देश प्रदान किये गये, किन्तु इसकी पालना निर्देशो के अनुरूप जिलो के द्वारा नही की गयी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जनहित याचिका, डीबी पीआईएल पीटीशन नं0 3270/2012 में दिनांक 30.03.2012 में पारित आदेश के संदर्भ में चाही गयी सूचना प्रस्तुत करने से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.03.2012 से 2 माह के भीतर जिला स्तर पर अनुसंधानरत प्रकरणों में कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाना आवश्यक है।

5. राज्य सरकार द्वारा राज्य में अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन के परिपेक्ष्य मे समय–समय पर परिपत्र/आदेश जारी कर दिशा–निर्देश प्रदान किये गये है। इन परिपत्रों की पालना सुनिश्चित किया जाना संबंधित समुचित प्राधिकारी का उत्तरदायित्व है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जनहित याचिका, डीबी पीआईएल पीटीशन नं0 3270/2012 में पारित आदेश में अधिनियम के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत किये गये प्रकरणो में संबंधित न्यायालय को 2 माह में आरोप निर्धारित करने के निर्देश प्रदान किये गये है, इसके अतिरिक्त अन्य न्यायालयों में अधिनियम से संबंधित लंबित प्रकरणों पर भी त्वरित सुनवाई के निर्देश प्रदान किये गये है। इन प्रकरणो में परिवाद प्रस्तुत करने वाले संबंधित समुचित प्राधिकारी एवं विभाग के अन्य साक्षीगणों का परीक्षण, संबंधित न्यायालय द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में न्यायालय के निर्देशों पर विभाग के साक्षियों की संबंधित न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाकर, प्रकरणो में प्रभावी पेरोकारी सुनिश्चित कराया जाना संबंधित समुचित प्राधिकारी का उत्तरदायित्व है।

6. राज्य में अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अनुसंधान कार्य पूर्ण किया जाकर, प्रकरण का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक अनुसंधानरत प्रकरण में अनुसंधान पश्चात उल्लंघन पाये जाने पर ठोस साक्ष्यों सहित परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किये जावें एवं विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षण रखा जाकर, प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित कर अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन के लिये एतद् द्वारा राज्य सरकार की ओर से निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैं :–

   1. वर्तमान में अधिनियम के अन्तर्गत अनुसंधानरत प्रकरणों में संबंधित समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर तुरन्त अनुसंधान पूर्ण किया जाकर, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.03.2012 से 2 माह के भीतर आरोप पत्र/परिवाद प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
   2. पूर्व के उपखण्ड समुचित प्राधिकारियों के पास अनुसंधानरत रहे प्रकरणों में वर्तमान संबंधित उपखण्ड समुचित प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रकरण में वांछित अनुसंधान/जांच कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं अधिनियम का उल्लंघन पाया जाने पर पूर्व के उपखण्ड समुचित प्राधिकारी को उनके वर्तमान पदनाम के अनुकम में अधिनियम की धारा 28(1)(ए) के अन्तर्गत प्रकरण में परिवाद प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत अधिकारी बनाया जाकर, सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जाना अपने निकटतम पर्यवेक्षण में सुनिश्चित कराया जावें।
   3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला नोडल अधिकारी के द्वारा जिलों में लंबित रहे प्रकरणों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं मूल दस्तावेज

वर्तमान संबंधित समुचित प्राधिकारी को उनके क्षेत्रानुसार प्रेषित किये जाकर, अनुसंधानरत प्रकरणों की सूची आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें।

4. अधिनियम के प्रकरणो में परिवाद प्रस्तुत करने वाले संबंधित समुचित प्राधिकारी एवं विभाग के अन्य साक्षीगणों को परीक्षण के लिये संबंधित न्यायालय के द्वारा उपस्थित होने के निर्देश दिये जाने पर, विभाग के साक्षियों की संबंधित न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाकर, प्रकरणो में प्रभावी पेरोकारी संबंधित कार्य समुचित प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जावे।

5. माननीय उच्च न्यायालय/जिला एवं सत्र न्यायालय में अधिनियम के अन्तर्गत लंबित प्रकरणों में विभाग के द्वारा केस प्रभारी नियुक्त किये गये है। संबंधित केस प्रभारी के द्वारा प्रकरणों में प्रभावी पेरोकारी सुनिश्चित की जावें एवं केस प्रभारी के द्वारा प्रत्येक प्रकरण की प्रगति के बारे में संबंधित समुचित प्राधिकारी एवं अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी को भी अवगत कराना सुनिश्चित किया जावे।

6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला नोडल अधिकारी के द्वारा जिलों में लंबित प्रकरणों से संबंधित सूचना संबंधित समुचित प्राधिकारी से प्राप्त कर अनुसंधानरत प्रकरणों की सूची प्रतिमाह राज्य नोडल अधिकारी एवं निदेशक (प0क0) को मासिक रिपोर्ट के साथ प्रेषित की जावें।

7. जिला कलक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी के द्वारा प्रतिमाह जिले में अधिनियम के कियान्वयन से संबंधित वस्तुस्थिति पर समीक्षा की जाकर, अधिनियम का प्रभावी कियान्वयन अपने निकटतम पर्यवेक्षण में सुनिश्चित कराया जावे एवं मासिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को प्रेषित किया जावे।

7. अतः संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी का इस संदर्भ में व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित कराया जाकर यह निर्देशित किया जाता है कि उपखण्ड समुचित प्राधिकारियों के संदर्भ में जारी की गयी अधिसूचना के कम में आप अपने जिले में अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें तथा आपके द्वारा इस संदर्भ में समुचित निकटतम पर्यवेक्षण किया जाकर, समस्त उपखण्ड समुचित प्राधिकारियों को निर्देश प्रदान करावें कि अनुसंधानरत प्रकरणों में प्राथमिकता के आधार पर तुरन्त अनुसंधान पूर्ण किया जाकर, संबंधित अधिकृत अधिकारी के द्वारा सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित कराते हुये उपरोक्त निर्देशों की सख्ती से पालना करवाई जावें।

(बी. एन. शर्मा आई.ए.एस.)
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विभाग, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।

2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ट शासन सचिव एवं अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान जयपुर।
4. डॉ0 (श्रीमती) परम नवदीपसिंह, विधायक, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान जयपुर।
5. श्री बी.के. गुप्ता, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी, उपविधि परामर्शी (वाद) विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. राज्य नोडल अधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं निदेशक, (प0क0) राजस्थान जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, (आरसीएच) राजस्थान जयपुर।
8. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी एंव जिला कलेक्टर, राजस्थान।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
10. उपनिदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान जयपुर।
11. समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं समुचित प्राधिकारी, राजस्थान।
12. समस्त जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
13. विशिष्ठ लोक अभियोजक (पीसीपीएनडीटी), राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ राजस्थान।
14. विधि विशेषज्ञ/स्वास्थ्य प्रबंधक/अपराध शाखा, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान जयपुर।
15. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय जयपुर।

विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान, जयपुर